

सीधी भर्ती—2023  
कनिष्ठ लेखाकार

राजस्थान आवासन मण्डल कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम, 2010 के अन्तर्गत कनिष्ठ लेखाकार के 50 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं।

1. ऑनलाईन पंजीकरण, आवेदन व भुगतान की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. आवेदन एवं परीक्षा शुल्कः— आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) अथवा स्वयं के माध्यम से मण्डल को ऑनलाईन जमा करवायें।
  - (क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रूपये 975/-
  - (ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु —रूपये 875/-
  - (ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु रूपये 775/-
  - (घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8(3) कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रूपये 775/- देय है। (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट (ग) भी अवश्य देखें।)

नोटः—

- (क) राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।
- (ख) परीक्षा शुल्क एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
- (ग) सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रूपये 775/- ही जमा कराते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करेंगे।



**स्पष्टीकरण:-** किसी वर्ग (अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

5. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह-विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती हैं तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिकी प्रस्तुत करनी होगी। परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का न्यायालय का आदेश/डिकी इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
6. अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12) / विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 5 प्रतिशत आरक्षण देय है।
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)/ कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
8. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
9. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।
10. **भूतपूर्व सैनिकों हेतु :-**
  - (क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
  - (ख) भूतपूर्व सैनिक :-
    - (1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।
    - (2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे। भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों







अन्य व्यक्ति से भर सकेगा ।

- c. दिव्यांगजन आवेदक Online application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें। दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा ।
- d. ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण—पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा । राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन ) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा ।
- e. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम 2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6 (ए) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में “यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा ।”:
4. वेतनमानः— राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतनमान के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार पद हेतु पे—मैट्रिक्स लेवल L-10 वेतनमान होगा । परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा ।

#### **5. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता—**

Must hold a Degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State legislature in India or other educational institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Sec. 3 of the University Grants Commission Act. 1956, or possess an equivalent qualification recognized by the Government in consultation with the Commission :

OR

Must have passed Intermediate examination of the Institute of Cost & Works Accountants, Kolkata :

OR

Intermediate examination of the Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi.

AND

"O" or Higher Level Certificate Course conducted by DOEACC (NIELIT) under control of the Department of Electronics, Government of India :

OR

Computer Operator & Programming Assistant (COPA)/Data Preparation and Computer Software (DPCS) Certificate organized under National/State Council of Vocational Training Scheme :

OR

Degree/Diploma in Computer Science/ Computer Applications/Information Technology from a University established by law in India or from an institution recognized by the Government:

OR

Diploma in Computer Science & Electronics/Information Technology form a polytechnic institution recognized by the Government :

OR

Certificate Course in information Technology (RSCIT) conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.

एवं

देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

**नोट:** जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो सम्बन्धित नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन उसे परीक्षा में उपस्थित होने से पहले उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

### **Scheme of Examination**

There shall be one paper. The marks and time allowed for each section of paper shall be as under:



4. जलवायु
5. मृदा
6. प्राकृतिक वनस्पति
7. वन एवं वन्य जीव संरक्षण
8. पर्यावरणीय एवं पारिस्थिकीय मुद्दे
9. मरुस्थलीकरण
10. कृषि— जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें
11. पशुधन
12. बहुउद्देशीय परियोजनाएँ
13. सिंचाई परियोजनाएँ
14. जल संरक्षण
15. परिवहन
16. खनिज संपदाएँ

#### राजस्थान की

#### राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था:-

1. राजस्थान में स्थानीय, नगरीय प्रशासन
2. 74वां संविधान संशोधन विधेयक
3. राज्यपाल, राजस्थान विधान सभा, मुख्य मंत्री, जिला प्रशासन, लोकायुक्त
4. राज्य मानवाधिकार आयोग
5. राज्य सूचना आयोग
6. राज्य निर्वाचन आयोग
7. राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम, 2011

(b) General Science, General Aptitude e.g. History, Maths., innovation, Indian and International events etc.: -

1. General Science:- General Science will cover General Application and understanding of Science including matters of everyday observations and experiences. Candidates are supposed to be familiar with matters such as electronics tele-communications, Satellites and elements of computers (both Hard & Soft Wares), research labs including CSIR managed national labs and institutes, Environment & pollution etc.
2. Current affairs:- Current events of State, National and International importance. National and International agencies and their activities. Games & Sports at State, National and International levels.
3. History & Culture;- Land Marks in the political and cultural history of India, Major monuments and literary works. Renaissance, struggle for freedom and national integration & Culture with special reference to:-
  - (a) The medieval background.
  - (b) Socio-economic life and organisation.
  - (c) Freedom movement and political awakening.
  - (d) Political integration.
  - (e) Dialects and Literature.
  - (f) Music, Dance & theatre.
  - (g) Religious beliefs, cults, saints, poets, Warrior-saints, Lok Devtas & Lok deviyian.
  - (h) Handicrafts.
  - (i) Fairs and Festivals, Customs, Dresses, Ornaments with special reference to Folk and tribal aspects thereof.
4. Economic Developments:- Food and Commercial crops of Rajasthan, Agriculture based Industries, Major irrigation and River Valley, Projects for the development of the desert and waste lands. Indira Gandhi Canal Project, growth and location of Industries, Industrial raw materials. Mineral based industries, Small scale and Cottage industries, export items Rajasthani handicrafts. Tribes and their economy. Cooperative movement, Tourism Development. Economic Reforms in India and their impact.
5. Geography and Natural Resources:-

- (a) Broad – physical features of the world important places, rivers, mountains, continents, oceans.
  - (b) Ecology and wild-life of India.
6. Mathematics:  
Ratio and proportion, percentage, profit & Loss, simple and compound interest, time and distance, time and speed, work and time, Average
7. Basics of Computer:
- Introduction to Computer & Windows: Input/output Devices, Memory, PORTS, Windows Explorer, Menu, Managing Files & Folders, Setup & Accessories, Formatting, Creating CD/DVD.
  - Word Processing & Presentations: Menu Bars, Managing Documents & Presentations, Text Formatting, Table Manipulations, Slide Designs, Animations, Page Layout, Printing.
  - Spread Sheets: Excel Menu Bar, Entering Data, Basic Formulae & Inbuilt Functions, Cell & Formatting, Navigating, Charts, Page Setup, Printing, Spread Sheets for Accounting.
  - Working with Internet and e-mails: Web Browsing & Searching, Downloading & Uploading, Managing as E-mail Account, e-Banking.

## **Section-B**

- 1. Book-Keeping & Accountancy:
  - Accounting – meaning, nature, functions and usefulness, types of accounting, accounting equation, generally accepted accounting principles, concepts and conventions.
  - Accounting process: journals and ledger leading to preparation of trial balance and preparation of final accounts with adjustments.
  - Preparation of bank reconciliation settlement.
  - Rectification of errors.
  - Accounting for depreciation- need, significance and methods of providing depreciation.
  - Receipts and payments account and income and expenditure account and balance sheet.
  - Single entry system- Preparation of accounts from incomplete records.
  - Partnership accounts:
  - Fundamentals- capital-fixed and fluctuating, adjustments for change in profit sharing ratios, revaluation of assets and treatments of goodwill.
  - Reconstruction of the firm- Admission, Retirement and Death of a partner including treatment of life policy.  
Insurance Claims.
- 2. Business Methods:
  - Business: Introduction, scope and objectives; Business Ethics and social responsibilities of business.
  - Forms of Business Organisations: Sole proprietorship, partnership and company.
  - Entrepreneurship: Concept, importance and causes of low development of entrepreneurship in India.
  - Negotiable Instruments: Meaning and types (Promissory Note, Bills of Exchange and Cheques).
  - Sources of Business Finance.
  - Advertising: Meaning, Importance and methods.
  - Consumer rights and protection against exploitation.
  - Human resource planning, recruitment, selection and training.
  - Communication- process, barriers and suggestions to overcome barriers.
  - Discipline – Causes and suggestions for effective discipline.
  - Coordination – Importance and principles,
- 3. Auditing:
  - Auditing- Meaning, objectives, types of audit, planning and procedures, audit programme, working papers, test checking routine checking.
  - Vouching, concepts, importance and procedures.
  - Internal Control: meaning, objectives, internal check and internal audit.
  - Valuation and verification of assets and liabilities.

- Rights, Duties and Liabilities of Company Auditor.
  - Audit of Government Companies.
  - Audit reports and Audit Certificates.
4. Indian Economics:
- Indian Economy – Features and problems, Economic policy, Industrial policy, Monetary policy and Fiscal policy of India.
  - Meaning, objectives and importance of economic planning in India, Planning Commission and NITI Aayog.
  - Population Explosion – Causes, effects and remedies. Relation between population and economic growth.
  - Role and significance of agriculture in Indian economy. Sources of agriculture finance and recent trends in agriculture marketing.
  - Industrial growth and prospects in India.
  - Inflation – Causes, effects and remedies.
  - Public sector in India: Role, Progress and Problems.
  - Impact of globalization and liberalization in agriculture and industry.
  - Role of Multi-national corporations in Indian Economy.
  - Foreign Trade – Volume, composition and direction.
  - National Income – Concept, computation methods and distribution.
  - Tourism in Rajasthan.
5. Rajasthan Service Rules - Vol. I (Chapter II, III, X, XI, XIII, XIV, XV & XVI) As amended,
6. G.F.& A.R. Pt. I (Chapter I, II, III, IV, V, VI, XIV AND XVII) As amended.

## **6. अन्य योग्यताएँ :-**

(1) **स्वास्थ्य**— उपरोक्त पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उपरोक्त वर्णित पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।

(2) **चरित्र**— सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह उपरोक्त वर्णित पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सचरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्रधानाचार्य / शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन—पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।

## **7. राष्ट्रीयता :-**

- भारत का नागरिक हो, या
- नेपाल का प्रजाजन हो, या
- भूटान का प्रजाजन हो, या
- ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1—1—62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
- भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो। नोट:-परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख) (ग), (घ), (ड.) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार













**21. मण्डल की वेबसाईट:-** अभ्यर्थी मण्डल की वेबसाईट [urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://urban.rajasthan.gov.in/rhb) के माध्यम से समस्त सूचना एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन / सूचना / स्पष्टीकरण राजस्थान आवासन मण्डल , जयपुर के परिसर में स्थित नागरिक सेवा केन्द्र पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर जो कि वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव राजस्थान आवासन मण्डल, जनपथ, जयपुर-302005 को सम्बोधित किया जायेगा।